Queensland
Human Rights
Commission

KNOW YOUR RIGHTS: HINDI

अपने अधिकारों से अवगत रहें:

क्वींसलैंड के भेदभाव-विरोधी और मानवाधिकार कानूनों के लिए आपकी संदर्शिका

क्वींसलैंड में भेदभाव, यौन उत्पीड़न और कलंकारोपण का निषेध करने वाले भेदभाव-विरोधी अधिनियम 1991 तथा क्वींसलैंड में प्रत्येक व्यक्ति के 23 अधिकारों की सुरक्षा करने वाले मानवाधिकार अधिनियम 2019 के तहत आपके अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है।

क्वींसलैंड के मानवाधिकार कानून सभी लोगों के लिए निम्नलिखित अधिकारों का संरक्षण करते हैं:

- कानून के समक्ष मान्यता और समानता
- जीवन
- यातना और क्रूरता, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा
- बलपूर्वक कार्य से स्वतंत्रता
- यात्रा करने की स्वतंत्रता
- विचारधारा, विवेक, धर्म और आस्था की स्वतंत्रता
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- शांतिपूर्वक जनसमूह और संघ में शामिल होने की स्वतंत्रता
- सार्वजनिक जीवन में प्रतिभाग
- संपत्ति के अधिकार
- गोपनीयता और प्रतिष्ठा
- परिवारों और बच्चों की सुरक्षा
- साँस्कृतिक अधिकार – सामान्य
- साँस्कृतिक अधिकार – आदिवासी लोग और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोग
- शारीरिक स्वतंत्रता और सुरक्षा
- स्वतंत्रता से वंचित होने पर मानवतावादी व्यवहार
- निष्पक्ष सुनवाई
- आपराधिक कार्यवाही में अधिकार
- आपराधिक प्रक्रिया में बच्चों के अधिकार
- एक से अधिक बार न्यायिक परीक्षण और दंड से विमुक्ति
- पूर्वव्यापी आपराधिक कानूनों से संरक्षण
- शिक्षा
- स्वास्थ्य सेवाएँ।

मानवाधिकार अधिनियम का अर्थ है कि क्वींसलैंड संसद को कानून बनाने या बदलने के लिए इन अधिकारों पर विचार करना होगा, और सार्वजनिक संस्थाओं को काम करते या निर्णय लेते समय इन अधिकारों के अनुरूप व्यवहार करना होगा।

सार्वजनिक निकाय क्वींसलैंड में और क्वींसलैंड के लिए सेवाएँ प्रदान करते हैं।

सार्वजनिक संस्थाओं में राज्य सरकार के विभाग, मंत्री, पब्लिक स्कूल, सार्वजनिक अस्पताल, क्वींसलैंड पुलिस सेवा, स्थानीय परिषदें व पार्षद और लोक सेवक शामिल हैं।

सरकार की ओर से सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने वाले कुछ गैर-सरकारी संगठनों को भी सार्वजनिक निकाय माना जाता है - उदाहरण के लिए, सार्वजनिक आवास सेवा प्रदान करने वाले गैर-लाभ संगठन।

मानवाधिकार अधिनियम द्वारा संरक्षित अधिकार संपूर्ण नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि उनपर समुचित सीमाएँ लगाई जा सकती हैं।

क्वींसलैंड के भेदभाव-विरोधी कानून का अर्थ है कि निम्नलिखित कारकों के परिणामस्वरूप आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है:

- लिंग
- संबंधात्मक स्थिति
- गर्भावस्था
- मातृत्व/पैतृत्व स्थिति
- स्तनपान
- आयु
- नस्ल
- शारीरिक क्षति
- धार्मिक आस्था या गतिविधि
- राजनीतिक विश्वास या गतिविधि
- ट्रेड संघ गतिविधि
- वैध यौन-कृत्य
- लैंगिक पहचान
- लैंगिकता
- पारिवारिक दायित्व
- इन विशेषताओं वाले किसी भी व्यक्ति के साथ संलग्नता या संबंध।

जब आप:

- कार्यस्थल पर हों (इसमें नौकरी के लिए आवेदन करना, या कार्यानुभव प्राप्त करना शामिल है);
- स्कूल, टेफ या विश्वविद्यालय में दाखिला ले रहे/रही हों या अध्ययन कर रहे/रही हों;
- मकान, फ्लैट, या अल्पकालिक आवास, या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए परिसर किराए पर ले रहे/रही हों;
- या
- वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग कर रहे/रही हों, जिनमें दुकानें, जनपरिवहन, कैफे, चिकित्सीय केंद्र, टैक्सियाँ और सरकारी सेवाएँ शामिल हैं।

भेदभाव-विरोधी अधिनियम यौन उत्पीड़न और नस्ल, धर्म, लैंगिकता या लैंगिक पहचान के आधार पर उत्पीड़न का निषेध भी करता है।

जहाँ कहीं भी **यौन उत्पीड़न** हो, यह गैर-कानूनी होता है। यौन उत्पीड़न यौन प्रकृति का कोई भी अवांछित आचरण है। इसमें अनामंत्रित शारीरिक अंतरंगता, जैसे यौन-प्रकृति का स्पर्श, अनामंत्रित यौन प्रस्ताव, और यौन-विषयक गुप्तार्थों वाली टिप्पणियाँ करना शामिल है।

कलंकारोपण एक ऐसा सार्वजनिक कार्य है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, धर्म, लैंगिकता या लैंगिक पहचान के कारण उनके प्रति घृणा, तिरस्कार या गंभीर उपहास को प्रोत्साहन देता है। यदि इसमें शारीरिक हिंसा का खतरा शामिल हो, तो यह एक आपराधिक कृत्य होता है।

और अधिक जानकारी

क्वींसलैंड के मानवाधिकारों और भेदभाव कानून के बारे में और अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट www.qhrc.qld.gov.au पर उपलब्ध है।

आप BrowseAloud टूल का उपयोग करके हमारी वेबसाइट पर किसी भी जानकारी का अनुवाद कर सकते/सकती हैं।

BrowseAloud आइकन पर क्लिक करें (सामान्य रूप से आपकी स्क्रीन के ऊपरी दाएँ कोने में स्थित स्पीकर के चिह्न वाला नारंगी रंग का गोला)।

जब BrowseAloud टूलबार दिखाई दे, तो ग्लोब के आइकन पर क्लिक करें।

ड्रॉप-डाउन मेन्यु से अपनी भाषा चुनें।

हमसे संपर्क करें

यदि आपके साथ भेदभाव, यौन उत्पीड़न या सार्वजनिक रूप से उत्पीड़न किया गया है, या यदि किसी सार्वजनिक निकाय ने आपके अधिकारों को अनुचित रूप से सीमित किया है, तो आप क्वींसलैंड मानवाधिकार आयोग के पास शिकायत दर्ज कर सकते/सकती हैं।

कानून के बारे में जानकारी और भेदभाव या मानवाधिकारों से संबंधित शिकायत करने के तरीके के बारे में जानकारी हमारी वेबसाइट www.qhrc.qld.gov.au पर उपलब्ध है।

यदि आपको नस्लवादी दुर्व्यवहार या भेदभाव का अनुभव हुआ है, तो आप औपचारिक रूप से शिकायत करने के स्थान पर वेबसाइट www.qhrc.qld.gov.au के माध्यम से हमें इसके बारे में बताने का चयन कर सकते/सकती हैं।

आप क्वींसलैंड में कहीं से भी आयोग को निःशुल्क फोन नंबर 1300 130 670 पर सोमवार से शुक्रवार कॉल कर सकते/सकती हैं।

यदि आप अंग्रेज़ी के स्थान पर किसी अन्य भाषा में हमसे बात करना पसंद करेंगे/करेंगी, तो आप Translationz की माँग-आधारित सेवा के लिए उनसे 07 4863 4444 पर संपर्क कर सकते/सकती हैं।